

निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 269-75/निदे0म0क0 / कम्प्यू0सेल / 2015-16,

लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर 2015

आहरण वितरण अधिकारी,  
मुख्यालय।

शासनादेश संख्या 1130/60-3-2015-18(सा0)/15, दिनांक 11 सितम्बर 2015 द्वारा किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना होने से एसिड पीड़िताओं की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हेतु आधुनिक एवं विकसित उपचार प्रणाली विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी के अन्तर्गत 25 शैयाओं की बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु अनावर्तक अनुदान के रूप में रू0 745.41 लाख (रूपये सात करोड़ पैंतालिस लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कृपया उक्त धनराशि को आहरित करके महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस निमित्त होने वाला व्यय का वहन आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के 'लेखाशीर्षक -2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष-42-अन्य व्यय के मद के नामे डाला जायेगा।

(राम केवल)  
निदेशक।

पृष्ठांकन एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।


2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्यालय।

5- योजनाधिकारी, मुख्यालय।

6- उ0प्र0रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, एफ0एम0यू0, चौथा तल, योजना भवन, लखनऊ।

  
15.09.15  
(राम केवल)  
निदेशक।